झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची।

डब्ल्यू0पी0 (सी0) सं0–6094 वर्ष 2017

सुशील कुमार बंका, पे0 बाबूलाल बंका, निवासी–बंसीधर अदुकिया रोड, अपर बाजार, पी0ओ0–जी0पी0ओ0, पी0एस0–कोतवाली, जिला–राँची, झारखण्ड।

.... वादी/याचिकाकर्त्ता

बनाम्

1. विजय कुमार माहेश्वरी उर्फ चितलंगिया, पे0 स्व0 गिरीश लाल चितलंगिया, निवासी–छाया कम्पाउण्ड, बारलाल स्ट्रीट, पी0ओ0–जी0पी0ओ0, पी0एस0–कोतवाली, जिला–राँची, झारखण्ड।

.... प्रतिवादी/प्रतिवादी

2. प्रदीप कुमार बंका, पे0 बाबूलाल बंका, निवासी–बंशीधर अदुकिया रोड, अपर बाजार, पी0ओ0–जी0पी0ओ0, पी0एस0–कोतवाली, जिला–राँची, झारखण्ड।

.... वादी/प्रर्फोमा प्रतिवादी

उपस्थित : **माननीय न्यायमूर्ति श्री श्री चन्द्रशेखर**

याचिकाकर्त्ता के लिए :– श्री शशांक शेखर, अधिवक्ता।

उत्तरदाता सं0 1 के लिए :– श्री राहुल साबू, अधिवक्ता।

07/दिनांकः 20.06.2018

पक्षकारों को वैध रूप से तामीला कराई।

2. याचिकाकर्त्ता जे0बी0सी0 वाद सं0 43/2016 में पारित दिनांक 16.09.2016 के आदेश से व्यथित है, जिसके द्वारा प्रतिवादी को बचाव करने की अनुमति प्रदान की गई है।

3. याचिकाकर्त्ता द्वारा दी गई दलील यह है कि झारखण्ड भवन (पट्टा, किराया एवं निष्कासन) नियंत्रण अधिनियम, 2011 की धारा 21 (4) सहपठित परिसीमा अधिनियम के अनुच्छेद 118 के अधीन बचाव करने की अनुमति प्रदान करने के लिए आवेदन प्रतिवादी को सम्मन की तामीला के 10 दिनों के भीतर दायर किया जाना चाहिए। याचिकाकर्त्ता ने दावा किया है कि सम्मन 02.06.2016 को जारी किया गया था जो 03.06.2016 को प्रतिवादी को तामील कराया गया था, किन्तु उन्होनें 17.08.2016 को बचाव करने की अनुमति प्रदान करने के लिए आवेदन दायर किया है।

4. प्रत्यर्थीगण ने एक प्रति–शपथपत्र दायर किया है जिसमें कहा गया है कि 03.06.2016 को उन्हें जे0बी0सी0 वाद सं0 43/2016 में सम्मन की तामीला कराई गईं थी।

5. प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री राहुल साबू ने इस आधार पर रिट याचिका की पोषनीयता पर प्रारंभिक आपत्ति जताई है कि 16.09.2016 के आक्षेपित आदेश के खिलाफ, याचिकाकर्त्ता के पास 2011 अधिनियम की धारा 36 के तहत वैधानिक अपील का एक उपचार है, किन्तु, याचिकाकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री शशांक शेखर का कहना है कि 16.09.2016 का आक्षेपित आदेश पूरी तरह से अधिकारितविहीन है और इसलिए, इस तरह के आदेश के खिलाफ एक रिट याचिका होगी।

6. क्या जे0बी0सी0 वाद सं0 43/2016 में पारित दिनांक 16.09.2016 का आक्षेपित आदेश अधिकारितावहीन है या नहीं, यह मुख्य रूप से दो तथ्यों पर निर्भर करेगा; प्रतिवादियों पर सम्मन की तामीला कब करायी गयी थी तथा बचाव करने की अनुमति प्रदान करने के लिए आवेदन की तारीख क्या थी। इन सभी मुद्दों का निर्णय मामले के रिकॉर्ड की जाँच पर अपीलीय प्राधिकारी द्वारा तय किया जा सकता है। झारखण्ड भवन (पट्टा, किराया एवं निष्कासन) नियंत्रण अधिनियम 2011 की धारा 36 के तहत अपीलीय प्राधिकारी के पास आगे की जाँच करने की शक्तियाँ हैं।

7. उपरोक्त तथ्यों में, अधिनियम की धारा 36 के तहत सांविधिक अपील के एक प्रभावी उपचार के मद्देनजर, यह रिट याचिका अपोषणीय अभिनिर्धारित किया जाता है, हालांकि याचिकाकर्त्ता को चार सप्ताह की अवधि के भीतर 16.09.2016 के आक्षेपित आदेश के खिलाफ अपील दायर करने की स्वतंत्रता दी जाती है।

8. रिट याचिका को निस्तारित किया जाता है।

ह0

(श्री चन्द्रशेखर, न्याया0)